रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17102022-239699
CG-DL-W-17102022-239699

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] **नई दिल्ली, अक्तूबर 2—अक्तूबर 8, 2022, शनिवार/ आश्विन 10—आश्विन 16, 1944**
No. 36] **NEW DELHI, OCTOBER 2— OCTOBER 8, 2022, SATURDAY/ ASVINA 10—ASVINA 16, 1944**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में,-

(I) नियम 2 के, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंत: सुथापित किया जाएगा:

(घ)(क) "विभागाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करें;

(घ)(ख) "कार्यालयाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन घोषित राजपत्रित अधिकारी और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(II) नियम 12, उपनियम (1) और (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(1) कार्यालय अध्यक्ष किसी अभिदाता को अग्रिम संदाय,जिसमे कुल धनराशि,जो पूर्णांकित रूपये में हो और बारह मास के वेतन की रकम से अधिक न हो या क्रेडिट पर रकम का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, सम्मिलित है, निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजनों के करने की मंजूरी दे सकता है, अर्थात्:

(i) बीमारी (प्रसवावस्था) या किसी प्रकार की नि:शक्तता जिसमें जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी सम्मिलित है; से संबंधित व्यय करने के लिए;

(ii) सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थानों का समावेश करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा और जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी सम्मिलित है; की लागत को पूरा करने के लिए;

(iii) सगाई या विवाह, अंत्येष्टि या अन्य समारोहों से संबंधित अनिवार्य व्यय करने के लिए;

(iv) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित कानूनी कार्यवाही की लागत को पूरा करने के लिए, इस मामले में उपलब्ध अग्रिम किसी अन्य सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(v) अभिदाता के बचाव की लागत को पूरा करने के लिए जहां वह अपनी ओर से किसी आरोपित शासकीय कदाचार के संबंध में किसी जांच में स्वयं का बचाव करने के लिए विधि-व्यवसायी को नियुक्त करता है;

(vi) टेलीविजन, वाशिंग मशीन, रसोई गैस,गीजर और कंप्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए;

(vii) किसी यात्रा और पर्यटन संबंधी गतिविधियों सहित तीर्थ यात्रा और प्रमुख स्थानों के दर्शनार्थ होने वाले व्यय को करने के लिए;

(1क) विभागाध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को अग्रिम संदाय की मंजूरी दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को उप-नियम (1) में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है।

(1ख) उप-नियम (I)और(Iक)के अधीन अग्रिम संस्वीकृत किया जा सकेगा और अग्रिम के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इसका संदाय किया जाएगा:

परंतु, अभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में, इस उप-नियम के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा और अग्रिम के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर इसका संदाय किया जाएगा:

(1ग) उप-नियम (1) और (1क) के अधीन अभिदाता द्वारा अग्रिम मांगने के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए दी गई घोषणा के आधार पर अग्रिम संस्वीकृत किया जाएगा, और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।"

(III) नियम 13 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1)(क) अभिदाता से उतनी बराबर मासिक किस्तों में अग्रिम की वसूली की जाएगी जैसा कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निर्देश दे:

परंतु ऐसी संख्या बारह से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा चयन न करे, और साठ से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि अभिदाता अपने विकल्प पर, एक महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है;

(ख) प्रत्येक किश्त पूर्णांकित रुपये की संख्या होगी, ऐसी किश्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अग्रिम की राशि को बढ़ाया या घटाया जा रहा है।"

(IV) नियम 15 में,-

(i)उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नियम 16 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निकासी संस्वीकृत की जा सकेगी-

(क)किसी अभिदाता की दस वर्ष की सेवा (सेवा की व्यवधान अवधिसहित,यदि कोई हो) पूरी होने के पश्चात या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो,उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थानों को कवर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यकतानुसार, यात्रा व्यय भी शामिल है; की लागत को पूरा करने के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित किसी अन्य संबंधीकी सगाई या विवाह, अंत्येष्टि या अन्य समारोहों से संबंधित अनिवार्य व्यय करने के लिए;

(ग) बीमारी (प्रसवावस्था) या किसी भी प्रकार की नि:शक्तता से संबंधित व्यय करने के लिए अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यकतानुसार,यात्रा व्यय भी शामिल है;

(घ) टेलीविजन,वाशिंग मशीन, रसोई गैस,गीजर और कंप्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए;

(ख) अभिदाता की सेवा के दौरान उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) साइट की लागत या दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा प्लॉट या फ्लैट के आवंटन के लिए किसी संदाय सहित अपने आवास के लिए एक उपयुक्त गृह के निर्माण या अधिग्रहण करने या तैयार फ्लैट खरीदने के लिए;

(ख) अपने आवास के लिए एक उपयुक्त गृह का निर्माण करने या अधिग्रहण करने या तैयार फ्लैट खरीदने के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण बकाया राशि को चुकाने के लिए;

(ग) अपने आवास के लिए घर बनाने के लिए साइट खरीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के कारण किसी बकाया राशि को चुकाने के लिए;

(घ) किसी अभिदाता के स्वामित्व वाले या अधिग्रहीत गृह या फ्लैट में पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए;

(ङ) पैतृक गृह या सरकार से लिए ऋण की सहायता से बनाए गए गृह के नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या रखरखाव करने के लिए;

(च) खंड (ग) के अधीन खरीदी गई जमीन पर घर बनाने के लिए;

(ग) किसी अभिदाता की दस वर्ष की सेवा (सेवा की व्यवधान अवधियों सहित, यदि कोईहो) पूरी होने के पश्चात्उसके खाते में जमा राशि सेनिम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर खरीदने के लिए, या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए;

(ख) मोटर कार की व्यापक मरम्मत या पूरी मरम्मत, मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर, मोपेड बुक करने के लिए डिपोजिट जमा करने के लिए;

(घ) अभिदाता के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्तिकी तारीख से दो वर्ष के भीतर किसी भी प्रयोजनके बिना खाते में जमा राशि निकालने के लिए।

टिप्पणी 1:- किसी अभिदाता को निम्न से अनधिक राशि की प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जा सकेगी-

(i) खंड (क) के उप-खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन खाते में जमा राशि का तीन-चौथाई और खंड (क) के उप-खंड (ग) के अधीन खाते में जमा राशिकानब्बे प्रतिशत से अधिक रकम नहीं;

(ii) खंड (ख) के अधीन, खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत;

(iii) खंड (ग) के अधीन, खाते में जमा राशि का तीन-चौथाई या वाहन की लागत, जो भी कम हो;

(iv) खंड (घ) के अधीन, खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत;

टिप्पणी 2:- इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी दी जा सकेगी और निकासी के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर संदाय किया जाएगा। तथापि, अभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या वस्तुत: उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में, इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी दी जा सकेगी और प्रत्याहरणके लिए आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर संदाय किया जाएगा।

टिप्पणी 3:- आवास के प्रयोजन के लिए किए गए प्रत्याहरण को गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से नहीं जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी 4:- इस नियम के अधीन अभिदाता द्वारा प्रत्याहरण के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए दी गई घोषणा के आधार पर प्रत्याहरण की मंजूरी दी जाएगी, और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

टिप्पणी 5:- खंड (ख) के उप-खंड (ख) के अधीन मंजूर प्रत्याहरण की रकम, पिछली प्रत्याहरण की रकम घटाकर,उप-खंड (क) के अधीन पिछली प्रत्याहरण की रकम के साथ आवेदन की तारीख को शेष रकम के नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सूत्रहोगा, 90/100 x (दिनांक को खाते में जमा शेष रकम और विचाराधीन गृह के लिए की गई पिछली प्रत्याहरणकी रकम) से पिछली प्रत्याहरण की रकम घटाएं।

टिप्पणी 6:- खंड (ख) के उप-खंड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति गृह या गृह निर्माण साइट पत्नी या पति के नाम होने पर भी दी जाएगी, परंतु यदि वह अभिदाता द्वारा किए गए नामनिर्देशन में भविष्य निधि की रकम प्राप्त करने वाला पहला नामनिर्देशिती है।

टिप्पणी 7:- इस नियम के अधीन समान प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी। किंतुपृथक संतान की शादी अथवा शिक्षा अथवा अलग-अलगहालातों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में परिवर्धन या परिवर्तन को समान प्रयोजन नहीं समझा जाएगा। एक संतान की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए वार्षिक आधार पर प्रत्याहरणकी अनुमति तब तक दी जा सकेगी जब तक कि संबंधित संतान पाठ्यक्रम जारी रखता है। खंड (ख) के उपखंड (क) या (च) के अधीन एक ही घर को पूरा करने के लिए दूसरी या उत्तरवर्तीप्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी 3 में दी गई निर्धारित सीमा तक दी जाएगी।

टिप्पणी 8:- यदि समान प्रयोजन के लिए और समान समय में नियम 12 के अधीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है, तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(ii) उप-नियम (2) में, 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर, 'विभागाध्यक्ष' शब्दरखा जाएगा।"

(V) नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी अभिदाता द्वारा किसी एक समय में नियम 15 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए खाते में जमा रकम से किया गया कोई प्रत्याहरण उसमें विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1:- नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (क) के अधीन अभिदाता की संबंधित संतान के पाठ्यक्रम जारी रखने तक वार्षिक प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी 2:- अभिदाता द्वारा किसी साइट या खरीदे गए घर या फ्लैट या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड, हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निर्मित घर या फ्लैट के लिए किस्तों में संदाय करने की दशा में,उसे जब कभी किसी किस्त का संदाय करने के लिए कहा जाए, तो प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक संदाय को नियम 16 के उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए एक पृथक प्रयोजन के लिए संदाय समझा जाएगा।";

(ii) उप-नियम (2) में, 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर,'विभागाध्यक्ष' शब्द रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (3) में,-

(क) खंड (क) में,'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर,'विभागाध्यक्ष' शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(VI) पांचवी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 3/2/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)]

विशाल कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि.96, तारीख 15.06.2022 द्वारा संशोधित किए गए।

1. का.आ.सं. 1814 तारीख 18.06.1988
2. का.आ.सं. 2002 तारीख 02.09.1989
3. का.आ.सं. 710, तारीख 4.03.1990
4. का.आ.सं. 3006, तारीख 17.11.1990
5. का.आ.सं. 3272, तारीख 8.12.1990
6. का.आ.सं. 146, तारीख 20.3.1993
7. का.आ.सं. 377, तारीख 10.2.1996
8. का.आ.सं. 379, तारीख 10.2.1996
9. का.आ.सं. 3228, तारीख 23.11.1996
10. का.आ.सं. 826, तारीख 25.4.1998
11. का.आ.सं. 2500, तारीख 5.12.1998
12. का.आ.सं. 2690, तारीख 16.9.2003
13. का.आ.सं. 1485(ई), तारीख 30.12.2003
14. का.आ.सं. 3682, तारीख 15.10.2005
15. का.आ.सं. 1529, तारीख 6.6.2009
16. का.आ.सं. 2689, तारीख 22.09.2009
17. का.आ.सं. 2869, तारीख 3.10.2010
18. का.आ.सं. 3091, तारीख 25.09.2012
19. का.आ.सं. 234(ई), तारीख 28.03.2014
20. सा.का.नि.96 (ई), तारीख 15.06.2022

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 22nd September, 2022

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960,-

(I) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following clauses shall be inserted:

"(da) "Head of Department" means an authority specified in Schedule I to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person whom the President may, by order, specify in this behalf as Head of a Department;

(db) "Head of Office" means a Gazetted Officer declared as such under rule 14 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person whom the competent authority may, by order, specify in this behalf as Head of Office."

(II) in rule 12, for sub-rules (1) and (1A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) The Head of Office may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding amount of twelve months of pay or three-fourth of the amount at credit, whichever is less, for one or more of the following purposes namely:-

(i) to pay expenses in connection with the illness (confinement) or any disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(ii) to meet the cost of primary, secondary or higher education covering all streams and educational institutions and including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(iii) to pay obligatory expenses in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(iv) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source;

(v) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(vi) to purchase consumer durables such as Television, washing machines, cooking range, geysers and computers;

(vii) to meet the expenses on pilgrimage and for visiting places of eminence including any travel and tourism related activities;

(1A) The Head of Department may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(1B) An advance under sub-rules (I) and (IA) shall be sanctioned and paid not later than fifteen days from the date of submission of the application of advance:

Provided that, in emergent circumstances like illness of the subscriber or a member of his family or any person actually dependent on him, an advance under this sub-rule shall be sanctioned and paid not later than seven days from the date of submission of the application of advance.

(IC) An advance under sub-rules (1) and (1A) shall be sanctioned on the basis of a declaration by the subscriber explaining the reasons for seeking the advance and no documentary proof would be required to be furnished by him for this purpose."

(III) in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1)(a) an advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct:

Provided that such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects**,** and not more than sixty:

Provided further that a subscriber may, at his option, repay more than one installment in a month;

(b) each installment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit the fixation of such installments."

(IV) in rule 15,-

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the conditions specified in rule 16, withdrawals may be sanctioned by the Head of the Department, at any time-

(A) after the completion of ten years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:-

(a) meeting the cost of primary, secondary or higher education covering all streams and educational institutions including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) meeting the obligatory expenses in connection with betrothal or marriage, funeral or other ceremony of the subscriber, his family member or any other relation dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness (confinement) or any disability, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person dependent on him;

(d) meeting the cost of consumer durables such as Television, washing machines, cooking range, geysers and computers;

(B) during the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:-

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Society;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house or a house built with the assistance of loan from Government;

(f) constructing a house on a site purchased under clause (c);

(C) after the completion of ten years of service of a subscriber (including broken periods of service, if any) from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely:-

(a) purchase of motor car or motor cycle or scooter, or repayment of loan already taken for the purpose;

(b) extensive repairs or overhauling of motor car, making deposit to book a motor car or motor cycle or scooter, moped;

(D) within two years before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose.

Note 1.- A subscriber may be permitted to withdraw an amount not exceeding-

(i) three-fourth of the amount standing at credit, under sub-clauses (a), (b) and (d) of clause (A) and an amount not exceeding ninety per cent. of the amount standing at credit under sub-clause (c) of clause (A);

(ii) ninety per cent. of the amount standing at credit, under clause (B);

(iii) three-fourth of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever is less, under clause (C);

(iv) ninety per cent. of the amount standing at credit under clause (D).

Note 2.- A withdrawal under this rule shall be sanctioned and paid not later than fifteen days from the date of submission of the application for withdrawal. However, in emergent circumstances like illness of the subscriber or a member of his family or any person actually dependent on him, a withdrawal under this rule shall be sanctioned and paid not later than seven days from the date of submission of the application for withdrawal.

Note 3.- A withdrawal for housing purpose will not be linked with the limits prescribed under House Building Advance rules.

Note 4.- A withdrawal under this rule shall be sanctioned on the basis of a declaration by the subscriber explaining the reasons for seeking the withdrawal and no documentary proof shall be required to be furnished by him for this purpose.

Note 5:- The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed ninety percent of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula shall be, 90/100 x (balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 6:- Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of **c**lause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband, provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 7:- Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat shall not be treated as the same purpose. Withdrawal for meeting the cost of education of a child may be allowed on annual basis till the concerned child continues to pursue the course. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of **c**lause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

Note 8:- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(ii) in sub-rule (2), for the word 'President' wherever it occurs, the words 'Head of the Department' shall be substituted."

(V) in rule 16,-

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 15 from the amount standing to his credit in the Fund shall not exceed the limit specified therein.

Note l.- A withdrawal to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-rule (1) of rule 15, may be permitted annually so long as the concerned child of the subscriber continues to pursue the course.

Note 2.- In cases where a subscriber has to pay in installments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board, a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any installment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.";

(ii) in sub-rule (2), for the word 'President', the words 'Head of the Department' shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3),-

(a) in clause (a), for the word 'President' the words 'Head of the Department' shall be substituted;

(b) clause (c) shall be omitted.

(VI) the Fifth Schedule shall be omitted.

[F. No. 3/2/2017-P & PW (F)]

VISHAL KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification S.O. 3000, dated the 1st December, 1960 and last amended vide number G.S.R 96, dated the 15th June 2022.

1. S.O. No 1814 dated 18.06.1988
2. S.O. No 2002 dated 02.09.1989
3. S.O. No 710 dated 04.03.1990
4. S.O. No 3006 dated 17.11.1990
5. S.O. No 3272 dated 08.12.1990
6. S.O. No 146 dated 20.03.1993
7. S.O. No 377 dated 10.02.1996
8. S.O. No 379 dated 10.02.1996
9. S.O. No 3228 dated 23.11.1996
10. S.O. No 826 dated 25.04.1998
11. S.O. No 2500 dated 05.12.1998
12. S.O. No 2690 dated 16.09.2003
13. S.O. No 1485 (E) dated 30.12.2003

14. S.O. No 3682 dated 15.10.2005
15. S.O. No 1529 dated 06.06.2009
16. S.O. No 2689 dated 22.09.2009
17. S.O. No 2869 dated 03.10.2010
18. S.O. No 3091dated 25.09.2012
19. S.O. No 234 (E) dated 28.03.2014
20. G.S.R. No 96 dated 15.06.2022

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)" शीर्ष के अधीन स्तंभ 11 में, मद (क) के उप मद (ii) में, "है" , शब्द के पश्चात "या" शब्द अत: स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 43-04/2019 एम आइ डी एच, टेक-1(ई-70841)]

दिनेश, अवर सचिव

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, ख़ण्ड 3, उपख़ण्ड (i) में स.का.नि. 62 तारीख़ 27 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Director (Group `A' Post) Recruitment Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Director (Group `A' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Director (Group `A' Post) Recruitment Rules, 2021, in column (11), under the heading "Deputation (including short-term contract)", in sub-items (i) and (ii) of item (a), after the words "or Department", the word "or" shall be inserted.

[F. No. 43-04/2019-MIDH, Tech-I (E-70841)]

DINESH, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, and Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 62(E), dated 27th June, 2021.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 143.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड में आशुलिपिक ग्रेड-1 के **पदों** पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड, आशुलिपिक ग्रेड-1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त **पदों** की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक	1* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	तीस साल से अधिक नहीं।	अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय

ग्रेड 1-	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35,400-1,12,400/ रु0)।	होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है। **टिप्पण** 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	या संस्थान से डिग्री; (ii) कौशल परीक्षण मानदंड (क) श्रुतलेख : 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट (ख) अनुलिपिकरण: कम्प्युटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिंदी)। अनुभव: कार्यालय प्रबंध, टिप्पण और प्रारुपण में दो वर्ष का अनुभव और एम एस आफिस, एक्सेल और पावर प्वाइंट में काम करने का ज्ञान हो। **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।**
8	9	10
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	सीधी भर्ती।

	के लिए दो वर्ष।	**टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क)(i) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500 – 81,100 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिये विहित किए गए अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप-आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य ; 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, टेक-1(ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Stenographer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Stenographer Grade-I, (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer Grade-I.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti District and Pongi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Qualification: (i) Degree from a recognised University or Institute; (ii) **Skill Test Norms**: **(a) Dictation:** 10 minutes at the speed of 100 words per minute. **(b) Transcription:** 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi) on computer. **Experience:** Two years experience in office management, noting and drafting and having knowledge on working with MS office, Excel and power point. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs.25,500-81,100/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman; 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member; 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	

[F. No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध विपणन/आर्थिक विशेषज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड में विपणन या आर्थिक विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड, विपणन या आर्थिक विशेषज्ञ, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा-।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
विपणन	1*	साधारण	वेतन	लागू	चालीस वर्ष से	**आवश्यक :**

या आर्थिक विशेषज्ञ।	(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700-रु0)।	नही होता।	अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कारबार प्रबंध (विपणन) या कारबार अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर। **अनुभव:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कृषि या उद्यान कृषि-उपज या पूर्ति श्रृंख्ला प्रबंधन के क्षेत्र में पांच वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा / तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।**
8	**9**	**10**
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर

		रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क)(i) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 – 1,77,500 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; औरत् (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिये विहित किए गए अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता ।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. उद्यान-कृषि आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या अपर आयुक्त (उद्यान-कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, टेक-1(ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Marketing Specialist/ Economist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Marketing Specialist or Economist, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Marketing Specialist or Economist, (Group ‘A’ post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non- selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Marketing Specialist or Economist**.**	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Not applicable.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: **Qualification:** Master of Business Administration (Marketing) or Master of Business Economics from a recognised University or Institution. **Experience:** Five years experience in the field of marketing of agriculture or horticulture produce or supply chain management in the Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertakings or Statutory or Autonomous	Not applicable.	One year.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

Organisations or Universities or Recognised Research Institutions. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-10 (Rs.56,100-1,77,500/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman; 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member; 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध शंस्य पश्च प्रोद्यौगिकीविद पद और ज्येष्ठ फार्म प्रबंधक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड में पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्यौगिकीविद पद और ज्येष्ठ फार्म प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्यौगिकीविद और ज्येष्ठ फार्म प्रबंधक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।-**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
1	2	3	4	5	6	7
पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्यौगिकीविद।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700/-रु0)।	लागू नहीं होता ।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निणार्यक तारिख भारत में	**आवश्यक :** **अर्हता :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधगिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य प्रौधगिकी मे स्नातकोतर डिग्री राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा योग्यता के साथ।

					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर्ने के लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रो के लिये विहित की गयी है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**अनुभव:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वशासी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से उघान-कृषि या कृषि के क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन मे पांच वर्ष का नियमित अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।**
8	**9**	**10**
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने के कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाना अपेक्षित है।	सीधी भर्ती। **टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100 – 1,77,500/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रैंणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित की गयी अर्हताये और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागिय पुष्टि समिति: (पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. उद्यान-कृषि आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, नागालैंड या अपर सचिव (उद्यान-कृषि) कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ फार्म प्रबंधक।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)।	लागू नही होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निणार्यक तारिख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर्ने के लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,	**आवश्यक :** **अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान- कृषि मे कृषि के साथ विशेषज्ञता या उद्यान- कृषि में एम.एस.सी। **अनुभव:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वशासी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से उघान-कृषि फसल उत्पादन या फार्म प्रबंधन या संरक्षित खेती के क्षेत्र मे तीन वर्ष का नियमित अनुभव।

					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रो के लिये विहित की गयी है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्नि पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।**
8	9	10
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने के कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाना अपेक्षित है।	सीधी भर्ती। **टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900– 1,42,400/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रैंणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित की गयी अर्हताये और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागिय पुष्टि समिति: (पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर सचिव (उद्यान-कृषि) कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उद्यान कृषि संस्थान, नागालैंड या अपर सचिव (उद्यान-कृषि) कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, टेक-1(ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 145.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the posts of the Post Harvest Technologist and Senior Farm Manager, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Post Harvest Technologist and Senior Farm Manager, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Post Harvest Technologist and Senior Farm Manager, (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Post Harvest Technologist.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Not Applicable.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Skkim, Lahul and Spiti District and Pongi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Union Territory of Andaman and Nicobar Island, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: **Qualification:** Masters degree in Post-Harvest Technology or Food Science and Nutrition or Food Technology from a recognized University or Institute with National Eligibility Test qualification. Experience: Five years regular experience in Post Harvest Management in the field of Horticulture or Agriculture from Central Government or State	Not Applicable.	Two years for direct recruits. Note: All direct recruits are required to successfully complete a mandatory	Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis

Government or Union territory Administration or public sector undertaking or statutory autonomous organization or recognised research institution or Universities.		induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	from officers of Central Government: **(A)** (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or **(II)** with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and **(B)** possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7.).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Not Applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman; 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member; 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Farm Manager.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-).	Not Applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government). **Note 1:** The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Skkim,

					Lahul and Spiti District and Pongi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Union Territory of Andaman and Nicobar Island, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: **Qualification:** M.SC in Horticulture or Agriculture with specialization in Horticulture from a recognised University or Institute. Experience: Three years regular experience in the field of horticultural crops production or farm management or protected cultivation from Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or statutory autonomous organisation or recognised research institution or Universities.	Not Applicable.	Two years for direct recruits. Note: All direct recruits are required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: **(A)** (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or **(II)** with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level 7 (Rs.44,900-1,42,400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and **(B)** possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not Applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers'	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

	Welfare – Chairman; 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member; 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – -Member.	

[F. No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली,14 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध फील्ड सहायक और टेलीफोन ऑपरेटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में फील्ड सहायक और टेलीफ़ोन ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, फील्ड सहायक और टेलीफ़ोन ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फील्ड सहायक	3(तीन) (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपित्रत अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)	क. अनिवार्य अर्हताएं: i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। ii. किसी सरकारी या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञानी या जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कार्य का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह

					टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।	राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर निदेशक , अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता - अध्यक्ष; 2. एक समूह 'क ' अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं होता ।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2. टेलीफोन	2(दो) (2022)*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

ऑपरेटर	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	में स्तर – 2 (19900-63200 रु.)	होता ।	समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की सकती है ।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।	2. **टंकण गति** : 30 शब्द प्रति मिनट की गति । 3. कम्प्यूटर पर कार्य करने , माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संचालन , ईमेल भेजने और उसकी मॉनिटरिंग करने , नेट सर्फिंग का ज्ञान । **टिप्पण 1:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता ।

				1. अपर निदेशक , अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता - अध्यक्ष; 2. एक समूह 'क ' अधिकारी जिसे अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता - सदस्य;	

[फा. सं. ए. 60011/09/2018-एमई/प्रशि.]

आर. के. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th September, 2022.

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group C) Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the posts of **Field Assistant and Telephone Operator** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Field Assistant and Telephone Operator** in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

1**. Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, **Field Assistant and Telephone Operator** (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:-**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4**. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.– No person,-

a. who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether Selection post or Non-Selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.Field Assistant.	3 (Three) 2022)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the Pay Matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In respect of post, the appointment to which is made through the employment	**A. Essential Qualifications:** **(i)** 12th class pass with science subjects from a recognised Board. **(ii)** One year experience of work in a Medical or Microbiological or Public Health Laboratory of any Government or any recognised institute. **Note 1:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.

					exchanges the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two Years.	100 percent by direct recruitment.	Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Additional Director – All India Institute of Hygiene and Public Health Kolkata - Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health Kolkata - Member; 3. Administrative officer, All India Institute of Hygiene and Public Health Kolkata - Member.	Not Applicable.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2. Telephone operator.	2(Two) (2022) * *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the Pay Matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case	1. 12^{th} Class pass from a recognised Board. 2. Typing Speed:- Speed of 30 word per minute. 3. Knowledge of working on Computer, operation of Microsoft Office, sending and

					of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In respect of post, the appointment to which is made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	monitoring emails, internet surfing. **Note 1:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case candidates belonging to the Scheduled Casts and the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years.	100 percent by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairman; 2. One Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member; 3. Administrative Officer, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member.	Not Applicable.

[F. No.60011/09/2018-ME/Trg.]

R. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा. का. नि. 147.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम , 1990 को, जहां तक उनका संबंध **फोटोग्राफर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात -:

1. **संक्षिप्त् नाम और प्रांरभ : (i)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान , कोलकाता– फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त, होंगे।

2. **पद की संख्या्, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्सत में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्टि है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य. बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है ; या

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगीसीमा में छूट और अन्य-, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयआदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों समय पर जारी किए गए-, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा।-	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फोटोग्राफर	1(एक) *(2022) कार्यभार * के आधार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर– 5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पद भरे जाने की दशा में 18 से 27 वर्ष के बीच ।	**अनिवार्य :** **(क)** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक /10+2 उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) किसी मान्यता प्राप्त्

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।				(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पी ति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यलर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद पर नियुक्ति के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तु त करने के लिए कहा गया है।	संस्थान से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोसमा के साथ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या सिनेमा या टीवी कैमरामैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **(ख) वांछनीय:** अंग्रेजी और बंगाली का कार्यसाधक ज्ञान। **टिप्पण -1:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभयर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण -2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्रधिकारी की यह राय हैं की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति :सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)। जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों स्वायत्त या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थान के ऐसे अधिकारी - क. (i) जो वर्त्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; या (ii) जिन्होंने वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो ; और ख. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी में 5 वर्ष का अनुभव हो ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): (1)अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता क्षअध्य -; (2) निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; (3) प्रोफेसर (स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा), अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता ।सदस्य -	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 60011/05/2018-एमई/प्रशि.]

राजीव कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in partly supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Photographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata**, Photographer** (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Photographer	01(One) *(2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 5 (Rs.29200-92300)	Not applicable.	Between 18 years and 25 years. In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper age limit is relaxable for Departmental Candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by	**A. Essential:** (i) Higher Secondary /10+2 pass or equivalent from any recognised Board. (ii) Diploma in photography or videography or Cinematography from a recognised Institute with three years' experience as photographer or videographer or movie or TV Camera man. **B. Desirable:** Working knowledge in English and Bengali. Note: 1. The qualifications regarding experience is relaxable at the

					the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh or Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep. In respect of post, the appointment to which is made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not Applicable.	Two years (For direct recruits).	By deputation (including short term contract) failing which by Direct recruitment.	**By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organization, PSUs, University or Recognised Research Institutions:** (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with Five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level 4 (Rs.25500-81100) or equivalent in the present cadre or department; and (b) Having five experience of photography or videography	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation:-** 1. Additional Director- All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairman. 2. One Group 'A' Officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member 3. Professor (Health Promotion & Education), All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member.	Not applicable

[F. No. A. 60011/05/2018-ME/Trg.]

RAJEEV KUMAR, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

सा. का. नि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', आशुलिपिक समूह 'ग' भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) - उक्त पद की संख्या, तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं (अर्हताएं) और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (**5**) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक संरचना - (1) नियमित आधार पर आशुलिपिक के पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उप नियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

5. अयोग्यता (अपात्रता) – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू सवीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति (अपवाद) – इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनाधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय'	लेवल-4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट) **नोट:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में भी लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। (ii) कौशल परीक्षण जांच के मानदंड: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट के लिए। **प्रतिलेखन:** 50 मिनट (अंग्रेज़ी) या कंप्यूटर पर 65 मिनट (हिंदी)। **नोट 1:** अन्यथा सुयोग्य प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **नोट 2:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग की राय है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुभव से संबंधित योग्यता में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष

इनमें से भर्ती का तरीका क्या है- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता बताएं।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा- **नोट:** पदधारियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे लंबी अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है: (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले	लागू नहीं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए), की संरचना: -	लागू नहीं।

1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य; तथा 3. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य।	

[फा. सं. 20025/36/2021-एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(National commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 3rd October, 2022

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Stenographer (Group 'C') Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix. - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution. - (1) The incumbents holding the posts of Stenographer on regular basis, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbents referred to in sub rule (1) prior to the commencement of these rules shall count for the purposes of probation , seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. Disqualification . – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age – limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer	2* (2022) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group-C, 'Non-Gazetted', Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions or

	workload.				orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(i)12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms : Dictation: 10 minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of Central Government : (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed under Column 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration),	Not applicable.

National Commission for Scheduled Tribes - Chairman ; 2. Under Secretary (Establishment) National Commission for Scheduled Tribes- Member ; and 3. Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes- Member.	

[F. No. 20025/36/2021-NCST]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन विभाग (वर्ग **3** पद) भर्ती नियम, **1968** को, जहाँ तक उनका संबंध विक्रय सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विक्रय सहायक समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, विक्रय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विक्रय सहायक	09* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200 – 92300 रु.)	लागू नहीं होता	21 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विहित की गयी है।	**आवश्यक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में बैचलर डिग्री। **वांछनीय :** (i) किसी प्रकाशन संस्था में या पुस्तक-विक्रेता के साथ या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी संगठन में प्रकाशनों और अन्य प्रचार साहित्य के विक्रय और वितरण से संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) विक्रय या विपणन में डिप्लोमा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	67% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति**: प्रकाशन विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रू.) में ऐसे कनिष्ट भंडारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो **टिप्पण** : जहा ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- 1 निदेशक (प्रशासन), प्रकाशन विभाग - अध्यक्ष ; 2 उप निदेशक(प्रशासन) प्रकाशन विभाग - सदस्य; और 3 कारबार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता

			विभाग में नियामत आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21700-69100 रू.) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में बैचलर डिग्री। (ii) किसी प्रकाशन संस्था में या पुस्तक- विक्रेता के साथ या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी संगठन में प्रकाशनों और अन्य प्रचार साहित्य के विक्रय और वितरण से संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** : पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनितयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. एम-28011/1/2021- आई.पी.एवं.एम.सी.]

न. सनातोम्बा सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th July, 2022

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Publications Division (Class III) posts Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Sales Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sales Assistant, Group 'C' Post in the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Publications Division, Sales Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Sales Assistant.	09* (2022) *Subject to variation	General Central Service Group 'C', Non -	Level 5 (Rs.29200-92300).	Not applicable.	Between 21 to 27 years (relaxable for Government servant up to 05 years in accordance with the	**Essential**: Bachelor's Degree in Commerce or Economics or Statistics from a recognized University.

	depending on work load.	Gazetted, Non - Ministerial.			instructions issued by Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Desirable**: (i) Three years experience in a publishing house or with books-seller or in an organisation under Central or State Government dealing with the sale and distribution of publications and other publicity literature; (ii) Diploma in Sales or Marketing.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for direct recruits.	67% by direct recruitment failing which by deputation, and 33% by promotion failing which by deputation.	**Promotion**: Junior Storekeepers in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix working in the Publications Division with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)**: Officers of Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Posts	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion or for considering confirmation) consisting of :- 1.Director (Administration), Publications Division– Chairman; 2.Deputy Director (Administration), Publications Division – Member; and 3.Business	Not applicable.

			in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iii) with ten years of regular service in the level-3 (Rs.21700-Rs.69100) in the pay matrix ; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- i) Bachelor's Degree in Commerce or Economics or Statistics from a recognized University. ii) three years in a publishing house or with books-seller or in an organization under the Central Government or State Government dealing with the sale and distribution of publications and other publicity literature. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Manager, Publications Division– Member.	

[F. No. M-28011/1/2021-IP&MC]

N. SANATOMBA SINGH, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (समूह ग) अननुसचिवीय पदों के भर्ती नियम, 1979 के अधिक्रमण में, जहां तक वे स्टाफ कार चालक/चालक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II ग्रेड-I और विशेष ग्रेड) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिएनिम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I और विशेष ग्रेड) (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. निरर्हता - कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

कथित पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेता और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिलकर सकेगी।

7. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समयपर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियोंके लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद?**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?**	**परिवीक्षा अवधि,यदि कोई हो**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900 रुपये - 63,000 रुपये)	लागू नहीं	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी)। **टिप्पण 1 :** आयु	**आवश्यक:** (i.) मोटर कार के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटरमैकेनिज्म की जानकारी (अभ्यर्थीवाहन की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम हो); (iii) मोटर कारचलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो; (iv)10वींकक्षाउत्तीर्णहो। वांछनीय:	लागू नहीं	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष

					सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियोंसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीती जिला तथा चंबा जिले का पांगीउप-प्रभाग, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतिम तारीख) होगी। **टिप्पण 2 :** यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है, आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।	होम होमगार्ड अथवा सिविल स्वयंसेवी के रूप में 3 वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1 :** अनुभव के संबंध में योग्यता को सक्षम प्राधिकारी के स्व-विवेक से छूट दी जा सकेगी। **टिप्पण 2 :** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, चयन के किसी भी स्तर पर, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह मत है कि उनके लिएआरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभववाले अभ्यर्थी उपलब्ध होना संभव नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु)के ग्रेड पे में नियमित आधार पर सवार हरकारा (समूह ग) और नियमित समूह "ग"कर्मचारियों में से जिनके पास मोटरकार चलाने की सक्षमता का आकलन करने केलिए चालक परीक्षण के आधार पर मोटरकार का वैध चालक अनुज्ञप्ति हों, जिसके नहोने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारावेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 में (18000-56900 रू) में नियमित समूह 'ग'कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा:** सशस्त्रबल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित आवश्यक अनुभव और अर्हताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से मुक्त होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। **टिप्पण:**प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि कोछप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण किए जाने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों केविहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. स्टाफ कार चालक (ग्रेड II)	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19900-63200 रुपये) ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा निर्दिष्ट, व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:** (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. स्टाफ कार चालक (ग्रेड I)	6* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) ग्रेड में छः वर्षकी नियमित सेवा के साथ या स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) में 15 वर्ष कीसंयुक्त सेवा के साथ और (साधारण ग्रेड); और सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यापारपरीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-112400 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा:** स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रूपये) ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए 12018/01/2021-प्रशा.I]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 29th September, 2022

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electricity Authority (Group C) Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Staff Car Driver/Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade) posts in the Central Electricity Authority headquarter and its subordinate offices, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Power, Central Electricity Authority, Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade) (Group 'B' and Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in the pay matrix. – The number of the posts, its classification and pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruitment.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.**	**Period of probation, if any**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1. Staff Car Driver (Ordinary grade).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19,900-Rs. 63,200) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 years and 25 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with instructions or orders issued	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed

					by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, union territory of Ladakh, Lahual and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). **Note 2:** If the direct recruitment is to be made by direct open Competitive Examination, the age-limit would be 18 to 27 years.	(iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in Tenth Standard. **Desirable:** Three years' service as Home guard or Civil volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	**By deputation/absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the Central Electricity Authority, Ministry of Power who possess valid driving license for Motor cars on basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch rider on regular basis or regular Group 'C' employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **By deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (i)Director (Administration), Central Electricity Authority – Chairperson; (ii)Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	Not Applicable.

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruitment.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.**	**Period of probation, if any**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
2. Staff Car Driver (Grade II).	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By promotion.	**By promotion**: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in pay level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Director (Administration), Central Electricity Authority – Chairperson; (ii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	Not Applicable.

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruitment.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.**	**Period of probation, if any**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
3. Staff Car Driver (Grade-I).	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	**By promotion:** Staff Car Driver (Grade – II) in Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and (ordinary grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consist of:** (i) Director (Administration), Central Electricity Authority – Chairperson; (ii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	Not Applicable.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial .	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Non Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By promotion	**By promotion:** Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with three years regular service in the grade.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**	Not Applicable.

		(i) Secretary Central Electricity Authority – Chairperson; (ii)Director (Administration), Central Electricity Authority - Member; (iii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority - Member.	

[F. No. A. 12018/01/2021-Adm.I]`

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.17 15:56:36 +05'30'